"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई 2006—श्रावण 5, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-28/2005/वाक./पांच (65).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ 10-28/2005/वाक./पांच (41), दिनांक 1-9-2005 में शब्दों "उद्योग आयुक्त" के स्थान पर शब्दों "उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. यह संशोधन दिनांक 1-11-2004 से प्रभावशील माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2006

क्रमांक एफ-10-28/2005/वाक./पांच (65).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-28/2005/वाक./पांच (65), दिनांक 27-7-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 27th July 2006

NOTIFICATION

No. F-10-28/2005/CT./V (65).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment :—

AMENDMENT

In notification No. F-10-28/2005/CT./V (41) dated 1-9-2005 for the words "Industries Commissioner" wherever they occur the words "Industries Commissioner/Director of Industries" shall be substituted.

2. This amendment shall be deemed to have come in to force with effect from 1-11-2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/77/2006/वाक/पांच (66).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (1976 का क्रमांक 52) की धारा 4-ए की उपधारा (1) के अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-14-97-विक-पांच (78), दिनांक 29-9-97 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची में —

(क) अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (3) में प्रविष्टि क्रमांक 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं :—

अ. क्र. (1)	स्थानीय क्षेत्र (2)	माल (3)	दिनांक (4)	कर की दर (5)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य के सभी स्थानीय क्षेत्र.	3 (क) विस्फोटक-जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयत व्यवसायी द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयत ऐसे अन्य व्यवसायी से उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान पश्चात् क्रय किया जाए,	राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से	6%
		(ख) विस्फोटक-उपरोक्त (क) में वर्णित परिस्थितियों को छोड़कर.		10%

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2006

क्रमांक एफ-10/77/2006/वाक/पांच (66).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/77/2006/वाक/पांच (66), दिनांक 27-7-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 27th July 2006

NOTIFICATION

No. F-10/77/2006/CT/V (66).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 4-A of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendments in the notification No. A-5-14-97-ST-V (78), dated 29-9-97:—

AMENDMENT

In the schedule to the said notification —

(i) for entry No. 3 in column (3) against serial No. 1, the following entries shall be substituted.

S. No. (1)	Local areas (2)	Goods (3)	Date (4)	Rate of Tax (5)
1.	All local areas in the state of Chhattisgarh.	3. (i) Explosive-When purchased by a registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 from another such registered dealer after payment of tax under the said act.	From the date of publication in official gazette.	6%
		(ii) Explosive-In the situations other than mentioned in (i) above.		10%

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.